उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 28.02.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्रतिदिन की भाति पुलिस कार्यालय, महोबा में जनतादर्शन में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को सुना गया तथा सम्बन्धित को दिये आवश्यक निर्देश-

आज दिनांक 28.02.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई, इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपदीय पुलिस के समस्त क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारियों को सचेत किया गया कि जनसुनवाई को और अधिक प्रभावशाली बनाये ताकि पीड़ित/शिकायतकर्ता को अनावश्यक रुप से अपने थाने से इतनी दूर पुलिस कार्यालय आने की आवश्यकता न हो, साथ ही सभी प्र0नि0/थानाध्यक्ष को यह भी निर्देश दिये गये कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर से हो सकता है उन सभी समस्याओं का समाधान थाना स्तर पर ही कराना सुनिश्चित करें।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 28.02.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जनपदीय एसओजी व थाना कोतवाली नगर महोबा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 04 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल, कब्जे से चोरी किये गये कुल 92,000,00 रुपये व 469.44 ग्राम पीली धातु (आभूषण) बरामद ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में चोरी व नकबजनी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 28.02.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में गठित जनपदीय एसओजी व थाना कोतवाली महोबा में थाना स्तर पर गठित की गयी टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना कोतवाली महोबा क्षेत्रअन्तर्गत मोहल्ला गांधीनगर निवासी संदीप कुमार साहू पुत्र छंगा प्रसाद साहू द्वारा थाना कोतवाली महोबा में सूचना दी गयी कि उनके घर से दिनांक 26/27.02.2023 की रात्रि में अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देते हुये 98,00,000 रुपये नगद व 75,00,000 लाख रुपये के अनुमानित जेवरात चुरा लिये गये थे, उक्त के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर महोबा में दिनांक 28.02.2023 को मु.अ.सं. 78/23 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात चोर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया, उक्त घटना का संज्ञान लेते हुये पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा मय पुलिस बल के साथ घटना स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुये घटना के सफल अनावरण व माल बरामदगी हेतु थानास्तर पर 04 टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे।

कृत कार्यवाही का विवरण-

घटना के अनावरण के क्रम में भ्रमणशील टीमों को मुखबिर खास की सूचना पर एक बड़ी सफलता हासिल हुयी, मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महोबा व प्रभारी सर्विलांश/स्वॉट टीमों ने मुखबिर द्वारा बताये स्थान ग्राम करहराकलां थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा के शनी देव मन्दिर गेट के सामने पास से 04 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जो मौके पर चोरी किया हुआ माल आपस में बांट रहे थे, जिनसे मुकदमा उपरोक्त मे चोरी गया माल बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण-

1.अनिल उर्फ लल्ला पुत्र मैयादीन राजपूत उम्र 34 वर्ष कुर्रा थाना राठ जनपद हमीरपुर
2.रामऔतार पुत्र रामप्रकाश साहू उम्र 40 वर्ष निवासी कुर्रा थाना राठ जनपद हमीरपुर
3.अन्नी उर्फ अनिल सोनी पुत्र केशव प्रसाद सोनी उम्र 30 वर्ष निवासी चौगड्डा थाना राठ जनपद हमीरपुर 4.वसीम पुत्र समीम उम्र 29 वर्ष निवासी पठनऊ थाना राठ जनपद हमीरपुर

बरामद माल का विवरण-

1.अनिल उर्फ लल्ला के कब्जे से 35,00,000 रुपयों के अतिरिक्त पीली धातु के निम्न जेवरात बरामद हुये 18 कील पीली धातु वजन 5.67 ग्राम, 07 अंगूठी पीली धातु वजन 29.55 ग्राम, 24गुरिया पीली धातु 4.44 ग्राम, 06 कंगन पीली धातु 79.30 ग्राम, 02 हार पीली धातु 59.60 ग्राम, 01 ब्रेसलेट पीली धातु 13.72 ग्राम, 02 चैन पीली धातु 21.57 ग्राम, 02 झुमके पीली धातु 13.04 ग्राम, 02 छोटे कंगन पीली धातु 05.36 ग्राम, 04 टाप्स पीली धातु 13.12 ग्राम, 01 मंगलसूत्र का लाकेट पीली धातु 02.96 ग्राम,02 कान की छोटी बाली पीली धातु 0.82 ग्राम, 01 नथिया पीली धातु 02.02 ग्राम, 04 लाकेट पीली धातु 03.06 ग्राम, 01 ब्रेसलेट पीलीधातु 05.64 ग्राम, 01 उंगली का छल्ला पीली धातु 02.68 ग्राम, 01चैन सफेद व पीली धातु मिश्रित 08.82 ग्राम (कुल जेवरात पीली धातु 271.37 ग्राम)

2. रामऔतार के कब्जे से 25,000,00 रुपये

3. अन्नी उर्फ अनिल सोनी के कब्जे से 7,00,000 रुपया व पीली धातु का पिघला हुआ ठोस गोलाकार 198.07 ग्राम

4. वसीम के कब्जे से 25,00,000 रुपये

(उक्त घटना से सम्बन्धित कुल 92,000,00 रुपये व 469.44 ग्राम जेवरात पीली धातु बरामद हुये)

अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उक्त धन व जेवरात दिनांक 26/27.02.2023 की रात्रि में बैंक आफ बडौदा के पास स्थित घर से रात्रि में चोरी किये थे। उक्त बरामद माल का सम्बन्ध थाना कोतवाली महोबा के मु.अ.सं. 78/23 धारा 457/380 भादवि से सम्बन्धित है माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेजा गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा घटना के सफल अनावरण करने पर पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु 25,000/- रुपये इनाम की घोषणा की गयी।

संयुक्त पुलिस टीम का विवरण-

थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महोबा श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह
2. निरीक्षक अपराध थाना कोतवाली महोबा श्री गोपाल चन्द्र कन्नौजिया
3. उ.नि.सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया 4.उ.नि.अनुरूद्ध प्रताप सिंह 5. उ.नि. विवेक कुमार
6. उ.नि.शेरे आलम खां 7-उ.नि. अमर सिंह 8. उ0नि0 सनय कुमार
9. हे.कां. अनूप 10. हे.का. श्याम यादव 11. कां. रामकुमार तिवारी
12. कां. दीपेश कुमार 13. कां. कुबेर सिंह 14. कां. पंकज सिंह
15. कां. शिवबाबू 16. कां. लोकेन्द्र प्रताप 17. कां. हरीओम
18. कां. विनोद कुमार 19. कां. अरविन्द कुमार 20. म.कां. धात्री तिवारी

जनपदीय एसओजी टीम-

1.उ0नि0 राहुल परमार प्रभारी सर्विलांस/स्वाट
2. उ0नि0 बृजेन्द्र सिंह 3.कां अंशुल दुबे 4. कां. नरेन्द्र कुमार
5. कां. दीपक वर्मा 6. कां रंजीत सिंह 7. कां. निर्भय

महोबा पुलिस

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-

प्रथम अभियुक्त अनिल उर्फ लल्ला पुत्र मैयादीन राजपूत का अपराध विवरण-

1.मु0अ0सं0 78/23 धारा 457/380/411 भा.द.वि. थाना कोतवाली नगर महोबा,
2.मु0अ0सं0 54/23 धारा 3(1)यू.पी गैंगेस्टर एक्ट थाना कुलपहाड़,
3.मु0अ0सं0 174/21 धारा 380/411/457 थाना कुलपहाड़
4.मु0अ0सं0 0190/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुलपहाड़
5.मु0अ0सं0 270/18 धारा 380/411/457 भा.द.वि. व 41 सीआरपीसी थाना राठ हमीरपुर
6.मु0अ0सं0 273/18 18 धारा 380/411/457 भा.द.वि. व 41 सीआरपीसी राठ हमीरपुर
7.मु0अ0सं0 199/2007 थाना राठ जिला हमीरपुर
8.मु0अ0स0 200/2007 थाना राठ जिला हमीरपुर
9. मु0अ0स0 983/2007 थाना राठ जिला हमीरपुर।

द्वितीय अभियुक्त रामऔतार पुत्र रामप्रकाश साहू का अपराध विवरण-

1.मु0अ0सं0 78/23 धारा 457/380/411 भा.द.वि. थाना कोतवाली नगर महोबा
2.मु0अ0सं0 599/2020 धारा 147/148/149/307/427/504 भा.द.वि. थाना राठ हमीरपुर

तृतीय अभियुक्त अन्नी उर्फ अनिल सोनी पुत्र केशव प्रसाद सोनी का अपराध विवरण

1.मु0अ0सं0 78/23 धारा 457/380/411 भा.द.वि. थाना कोतवाली नगर महोबा
2.मु0अ0सं0 23/2021 धारा 120बी/195 थाना राठ हमीरपुर
3.मु0अ0सं0 40/16 धारा 319ए) क्रिमिनल ला(अमेन्डमेन्ट एक्ट) व 147/149/341 भा.द.वि. थाना राठ
4.मु0अ0सं0 402/2018 धारा 143/188 भा.द.वि. थाना राठ जिला हमीरपुर
5.मु0अ0सं0 601/2012 धारा 307/504 भा.द.वि. थाना राठ जिला हमरीपुर
6.मु0अ0सं0 934/2013 धारा 13 जी एक्ट थाना राठ जिला हमीरपुर
7.मु0अ0सं0 1015/13 धारा 323/354बी/376/504/506 भा.द.वि. थाना राठ जिला हमीरपुर

चतुर्थ अभियुक्त वसीम पुत्र समीम का अपराध विवरण-

1.मु0अ0सं0 78/23 धारा 457/380/411 भा.द.वि. थाना कोतवाली नगर महोबा
2.मु0अ0सं0 224/2015 धारा 308/323/452/504/506 भा.द.वि. थाना कोतवाली नगर हमीरपुर
3.मु0अ0सं0 1110/13 धारा 147/387/504/506 भा.द.वि. थाना कोतवाली नगर हमीरपुर
4.मु0अ0सं0 1296/13 धारा 323/325/354/354बी/376/452/504/506 भा.द.वि. थाना कोतवाली हमीरपुर
5.मु0अ0सं0 250/12 धारा 354/504/506 भा.द.वि. थाना राठ जिला हमीरपुर
6. मु0अ0सं0 408/12 धारा 307/354/395/397 भा.द.वि. थाना राठ जिला हमीरपुर
7.मु00सं0 1349/13 धारा 354डी/506 भा.द.वि. थाना राठ जिला हमीरपुर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 28.02.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एंव शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।

आज दिनांक **28.02.2023** को श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में एंव अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा व्यापारी बन्धुओं से वार्ता कर उनको अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने व अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील, स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखनें,अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी । स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखनें,अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड,रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए व यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर वाहनों के **61** ई-चालान किये गये ।